



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 24 सितंबर 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 357

तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ विस्तृत शुद्धिकरण अनुष्ठान, पुजारी बोले- अब चिंता की कोई बात नहीं, आएँ और प्रसाद घर ले जाएँ

तिरुमला | आरएनएस

तिरुपति बालाजी मंदिर में सोमवार को एक विस्तृत शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान मंदिर में लड़कियों में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों के बाद किया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चले इस अनुष्ठान में शांति होम और पंचगव्य प्रोक्षण किया गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के अधिकारियों का कहना है कि इस अनुष्ठान के जरिए मंदिर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त किया गया है और लड़कू प्रसाद की पवित्रता को बहाल किया गया है।

मंदिर के मुख्य पुजारियों ने कहा कि हाल ही में फैले इस विवाद से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने भक्तों से अपील की है कि वे



अब चिंता न करें। आप सब भगवान बालाजी के दर्शन करें और प्रसाद लेकर अपने घर जाएं। कुछ दिन पहले, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने मंदिर में लड़कू बनाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। इसके बाद टीटीडी ने लैब टेस्ट करवाए, जिनमें लड़कूओं में पशु चर्बी मिलने की पुष्टि हुई। इस मामले में टीटीडी ने

मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डालने का फैसला किया है। साथ ही, मंदिर प्रशासन ने भक्तों को आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। यह मामला सामने आने के बाद से भक्तों में काफी रोष है। कई भक्तों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि, शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद कुछ भक्तों ने राहत की सांस ली है।

लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहर से लाए गए प्रसाद चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

लखनऊ | आरएनएस

लखनऊ के प्राचीनतम शिव मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब मंदिर में बाहर से लाया गया प्रसाद चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भक्तगण केवल घर में बनाए हुए प्रसाद और सूखे मेवों का ही उपयोग कर सकेंगे। मंदिर की महंत देव्यागिरि ने यह फैसला हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड़कू विवाद के बाद लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मंदिर के गर्भगृह में बाहर से लाए गए प्रसाद को चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश सोमवार प्रातः से प्रभावी हो जाएगा और मंदिर के

बाहर इस संबंध में सूचना भी चर्या कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के लड़कू विवाद ने कई धार्मिक स्थलों पर प्रभाव डाला है। तिरुपति मंदिर में लड़कू का बंटवारा और बिक्री विवादों में घिरा रहा है, जिसके बाद यह सवाल उठा कि मंदिर में इस्तेमाल हो रहे प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता सुनिश्चित की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मनकामेश्वर मंदिर की महंत ने यह फैसला लिया है।

घर का बना प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स की अनुमति- महंत देव्यागिरि ने भक्तों से अपील की है कि वे घर में बने शुद्ध घी के प्रसाद

या फिर सूखे मेवे को ही गर्भ गृह में अर्पित करें। बाजार से खरीदे गए प्रसाद में मिलावट और शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। महंत ने कहा कि मंदिर में पवित्रता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और भक्तों को इस व्यवस्था का पालन करना चाहिए।

मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मंदिर में बाहर से लाया गया प्रसाद या मिठाई स्वीकार नहीं की जाएगी। भक्तों को घर में बना हुआ प्रसाद जैसे- लड़कू, पंजीरी या सूखे मेवे ही चढ़ाने की अनुमति होगी। यह फैसला मंदिर की शुद्धता और पवित्रता को लेकर उठे विवाद

के बाद कई मंदिर प्रशासन अपनी प्रसाद नीति की समीक्षा कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर का लड़कू विवाद इस समय धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण भक्तों की आस्था प्रभावित हो रही है। इसी कारण लखनऊ के इस प्रतिष्ठित मंदिर ने बाजार से आने वाले प्रसाद पर रोक लगाने का फैसला किया है।

मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा और प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम है। भक्तगण अब केवल घर में बना हुआ प्रसाद या सूखे मेवे मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जिससे प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहेगी।

के बाद कई मंदिर प्रशासन अपनी प्रसाद नीति की समीक्षा कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर का लड़कू विवाद इस समय धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण भक्तों की आस्था प्रभावित हो रही है। इसी कारण लखनऊ के इस प्रतिष्ठित मंदिर ने बाजार से आने वाले प्रसाद पर रोक लगाने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

पंजाब कैबिनेट में फेरबदल :

तरुणप्रीत सिंह सॉड, बरिंदर कुमार गोयल, रवजोत सिंह समेत 5

विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए 5 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सोमवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने तरुणप्रीत सिंह सॉड, बरिंदर कुमार गोयल, रवजोत सिंह, हरदीप मुंडिया, मोहंनदर पाल भगत ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इन सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह फेरबदल राज्य के प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह फेरबदल राज्य के विकास और जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है, और नए मंत्रियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में और भी गति आएगी।

आतिशी ने संभाला दिल्ली की

नई मुख्यमंत्री पद का कार्यभार, केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा संदेश देते हुए अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को हाल ही में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब अरविंद केजरीवाल ने असह्यगी रूप से पद छोड़ा था। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरी पीढ़ी वैसी ही है जैसी भरत की थी, जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था।

चंद्रयान- 3 का चांद पर नया कारनामा, प्रज्ञान ने कर दी बहुत बड़ी खोज; वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि

अहमदाबाद | आरएनएस

भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर लगातार नई खोज कर रहा है। इसी क्रम में रोवर ने चंद्रमा पर 160 किलोमीटर चौड़ा एक नया गड्ढा खोजा है।

यह नया गड्ढा चंद्रमा के शुरूआती भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। माना जाता है कि यह गड्ढा चंद्रमा के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रभाव बेसिन, एटेकेन बेसिन के बनने से पहले ही अस्तित्व में था। इस गड्ढे की नई परत पर मौजूद धूल और चट्टानों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में अधिक जान सकेंगे।

रोवर ने इस गड्ढे की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं, जिनसे वैज्ञानिक इसकी संरचना का



विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। रोवर द्वारा एकत्रित किए गए डेटा से चंद्रमा के बारे में कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। इससे चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए नई राहें खुलेंगी। चंद्रयान-3 मिशन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रमाण है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बना रहा है।

नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, पीएम मोदी की अमेरिका में बड़ी डील

नोएडा | आरएनएस

जेवर एयरपोर्ट के पास जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसके साथ ही, भारत और अमेरिका के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत, नोएडा में दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा।

अमेरिका के साथ हुई ऐतिहासिक डील: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, दोनों देश मिलकर भारत में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित



करेंगे। यह प्लांट अमेरिकी सैन्य बलों और भारतीय रक्षा बलों को चिपस की आपूर्ति करेगा। क्या है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वह जगह होती है जहां सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार होते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। क्यों है यह डील

स्थापित होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

आर्थिक विकास : यह भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स हब : जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स हब, भारत को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक देश बनाने में मदद करेगा। इस हब में कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी।

पीएम मोदी का विजन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर चिप का एक बड़ा उत्पादक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इस डील के साथ, भारत इस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया है।

कोचिंग सेंटर मौत : आरएयू के आईएस स्टडी सर्किल के सीईओ, समन्वयक को दिल्ली की अदालत से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सोमवार को आरएयू के आईएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 7 दिनों तक अंतरिम जमानत दे दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रीड्रॉस सोसाइटी



के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया और कहा कि परिसर के लीज समझौते के अनुसार, आरोपी अकेले ही संस्थान के पट्टेदार और सीईओ हैं, इसलिए वे किसी भी नुकसान के दावे और किसी भी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि गुप्ता और सिंह क्रमशः राउ के आईएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे तथा इसके मामले पर उचित अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी।

सीबीआई ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के

मालिक पर मामला दर्ज किया- इससे पहले, पिछले महीने, सीबीआई ने ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की जांच अपने हाथ में ली थी और संस्थान के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया। केंद्रीय एजेंसी ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राउ के आईएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी।

उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद राउ के आईएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से डूब गए थे। आईएस उम्मीदवार बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तभी पानी भर गया और उनकी मौत हो गई।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-इसे देखना या डाउनलोड करना अपराध; हाईकोर्ट का निर्णय पलटा

नई दिल्ली | आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या देखना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पोक्सो अधिनियम और सूचना प्राधिकारिता कानून के तहत



अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अब

'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द का उपयोग न करें। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि हमने दोषियों के मनो की स्थिति की धारणाओं पर सभी प्रासंगिक प्रावधानों को समझाने के लिए अपने तरीके से प्रयास किया है और दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं। हमने केंद्र से यह भी अनुरोध किया है कि बाल अश्लीलता के स्थान पर बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री लाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाए। हमने सभी उच्च न्यायालयों से कहा है कि वे चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल न करें। बता दें इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो यह गैरकानूनी होगा। दरअसल पहले केरल हाईकोर्ट और फिर उसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में एक आरोपी के दोष मुक्त हो जाने पर एक हज़र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सोमवार को आरएयू के आईएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 7 दिनों तक अंतरिम जमानत दे दी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रीड्रॉस सोसाइटी